न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 102/2016 **दायरा दिनांक : 06.06.2016**

उनवान

1— शंकरलाल आयु 60 वर्ष आत्मज रामलाल, जाति ब्राहमण, निवासी अरनिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— कैलाश आयु 58 वर्ष आत्मज रामलाल, जाति राजपूत, निवासी अरनिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— हरिसिंह आयु 65 वर्ष आत्मज बापूसिंह, जाति राजपूत, निवासी अरनिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2— नारायण आयु 35 वर्ष आत्मज हरिसिंह, जाति राजपूत, निवासी अरनिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

3— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित —श्री बी एस भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ज्ञान प्रकाश यादव अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 31.10.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या —

185/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने रेस्पोडेंटगण एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया ग्राम अरनिया, तहसील गंगधार में आराजी खाता संख्या 138 नया 133 पुराना में खसरा नम्बर 607 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 615 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 616 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 621 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 646 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 723 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा कुल 7 बीघा 18 बिस्वा स्थित है जिसमें से आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा के बाबत विवाद है । वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता व खाते की है । वादी के पिता का स्वर्गवास हो गया है तथा वादीगण उनके कानूनन कायम मुकामान एवं वारिसान है तथा वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त हैं । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 646 वादीगण के पिता को आवंटन हुआ था । वादीगण के पिता ने इसमें एक कुआ खुदवाया तथा सिंचित की । प्रतिवादीगण की आराजी वादीगण की वादग्रस्त आराजी के पास है । प्रतिवादीगण ताकतवर एवं शहजोर व्यक्ति हैं तथा अपनी ताकत के बल पर वादीगण के स्वामित्व एवं कब्जे की आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हैं । सुविधा का संतुलन भी वादीगण के हक में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2016 से राजीनामा स्वीकार किया तथा ग्राम अरनिया की आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 646/2 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा भूमि पैमाईश आई एल आर व पटवारी हल्का से करायी जाये जिसके पास भी ज्यादा आराजी निकलेगी वो दूसरे पक्ष को संभला देगा । पैमाईश को दोनों पक्ष मानेगें, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अपीलांट हरिसिंह को यह कहकर राजीनामे पर हस्ताक्षर करवाये थे कि शिविर की कार्यवाही की जानी है तथा अपीलांट कैलाश उस दिन उज्जैन में था उसकी गैर मौजूदगी में राजीनामा तस्दीक किया जाकर निर्णय व डिक्री पारित की है । उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का खातेदार अपीलांट है तथा रेस्पोडेंट को उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । इसके उपरान्त भी राजीनामे के आधार पर अपीलांट का दावा खारिज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में तहसीलदार गंगधार, आई एल आर व पटवारी हल्का से पैमाईश रिपोर्ट मांगी लेकिन पैमाईश रिपोर्ट आने से पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया, जबकि पैमाईश रिपोर्ट आने के उपरान्त ही अपना निर्णय पारित करना चाहिए था । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्ष की सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते व कब्जे की है । वादग्रस्त आराजी का आवंटन अपीलांट के पिता को हुआ था जिस पर वादी के पिता ने आराजी सिंचित करने के लिए एक कुआ भी खुदवाया था । अधीनस्थ न्यायालय ने पैमाईश रिपोर्ट पर गौर न कर मनमाना निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत रूप से दावा खारिज किया है। अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.05.2016 का अध्ययन व मनन किया गया । वादी एवं प्रतिवादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक राजीनामा पेश किया गया है उसके आधार पर आई एल आर व पटवारी मौके पर जाकर वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट एवं पैमाईश करें एवं पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर जिस भी पक्षकार की आराजी ज्यादा निकले वह दूसरे पक्षकार को संभला देगे । दोनों पक्ष इस बात से सहमत होंगे । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह निर्णय न होकर प्रशासनिक आदेश पारित किया गया है एवं आई एल आर एवं पटवारी को तहरीर जारी कर निर्देशित किया गया है कि भूमि की पैमाईश करें और जिसके पास भी जमीन ज्यादा निकले वह दूसरे पक्षकार को संभला दे । उपरोक्त निर्णय विधि सम्मत नहीं है । न्यायालय को तहसीलदार के मार्फत वादग्रस्त आराजी की मौका रिपोर्ट एवं पैमाईश प्राप्त करनी चाहिए थी । दोनों पक्षों की सुनवायी करनी चाहिए थी जिसका अवसर पक्षकारान को प्राप्त नहीं हुआ है एवं जमाबंदी एवं अन्य दस्तावेजात के परिप्रेक्ष्य में मौका रिपोर्ट का अध्ययन करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था, जिसका पत्रावली में अभाव है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड करना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2016 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के मार्फत दोनों पक्षों की उपस्थिति में विवादित भूमि की पैमाईश करवाये तथा पैमाईश रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए विधि सम्मत निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.12.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा